संख्या– 1338/XVII(4)/2018-31(2)/05-TC-2

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग **देहरादून, दिनांक 13 दिसम्बर, 2018**

विषय–आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/आंगनबाड़ी सहायिकाओं एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले मानदेय में वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अनुसचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–11-36/2016-CD-I दिनांक 20.09.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आंगनबाड़ी सहायिकाओं तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को पूर्व शासनादेश संख्या–2333/XVII(4)/2011/131/05 दिनांक 08.11.2011, शासनादेश संख्या–281/XVII(4)/2013-31(2)/2005 दिनांक 21.02.2014 एवं शासनादेश संख्या 1544/XVII(4)/2016-31(2)/2005 दिनांक 12.08.2016 को अतिक्रमित करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आंगनबाड़ी सहायिकाओं तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को निम्न तालिका के स्तम्भ–3 के अनुसार भारत सरकार द्वारा पुनरीक्षित मानदेय एवं स्तम्भ–4 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मासिक मानदेय की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(धनराशि रू0)

क्र0 सं0	मानदेय पद का नाम	भारत सरकार द्वारा पुनरीक्षित मानदेय	राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मानदेय	कुल मानदेय (प्रतिमाह)
1	2	3	4	5
1	आंगनबाड़ी कार्यकत्री	₹ 4500	₹ 3000	₹ 7500
2	आंगनबाड़ी सहायिका	₹ 2250	₹ 1500	₹ 3750
3	मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री	₹ 3500	₹ 1250	₹ 4750

2– आंगनबाड़ी कार्यकत्री/आंगनबाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय में भारत सरकार के पत्र संख्या–11-36/2016-CD-I दिनांक 20.09.2018 द्वारा पुनरीक्षित की गई वृद्धि दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

3– आंगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रतिमाह मानदेय स्वरूप धनराशि ₹ 2250/-- के अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के सफल संचालन एवं आवंटित कार्यो के निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन स्वरूप ₹ 250/– प्रतिमाह दिया जायेगा।

4– आई0सी0डी0एस0 विभाग के अन्तर्गत वर्तमान समय में कुल आंगनबाडी कार्यकत्रियों की संख्या–14947 आंगनबाड़ी सहायिकाओं की सख्या 14947 एवं मिनी आंगनबाडी कार्यकत्रियों की संख्या 5120 इस प्रकार कुल संख्या 35014 है, जिनके मासिक मानदेय पर होने वाला व्यय निम्नानुसार अनुदान संख्या–15, 30 एवं 31 के माध्यम से व्यय किया जायेगा:–

1. अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक–2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–102–बाल कल्याण–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–03– परि योजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जानें वाला पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास पोषहार हेतु ईधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था–03–पुष्टाहार कार्यक्रमो के अन्तर्गत दिया जाने वाला

RSletter 2018-19

पोषाहार, पोषाहार हेतु ईधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था (आई0सी0डी0एस0 योजना) के अन्तर्गत मानक मद-07 मानदेय के नामे डाला जायेगा।

2. अनुदान संख्या-30 के लेखाशीर्षक-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेट प्लान-02-समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर दिये जाने वाला पुष्टहार (आई0सी0डी0एस0 योजना) के अन्तर्गत मानक मद-07 मानदेय के नामे डाला जायेगा।
3. अनुदान संख्या-31 के लेखाशीर्षक-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-02-समन्वित बाल विकास योजना जनजातीय क्षेत्र (90% के0स0) (आई0सी0डी0एस0 योजना) (22350279604 स्थानान्तरित) के अन्तर्गत मानक मद-07 मानदेय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0संख्या-80 म0/XXVII(3)/2018 दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 13380/XVII(4)/2018-31(2)/05-TC-2 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. संयुक्त सचिव/अनुसचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
5. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/अपर सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन।
8. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायू मण्डल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
11. वित्त नियंत्रक, आई0सी0डी0एस0, देहरादून।
12. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर उत्तराखण्ड देहरादून।
15. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड देहरादून।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
सयुक्त सचिव।